कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांकः प्रबन्ध/प्र0शि0च0–2011/ 12756/2015–16 दिनांक 16-03-2016

विज्ञप्ति

शासनादेश सं0 3116/79–5–14(10)/2010 दिनांक 27.09.2011, 2465/79–5–2014–14(10)/2010 टी0सी0 दिनांक 27 जून 2014, समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं शासनादेश सं0 590/79–5–2015 दिनांक 13 मार्च 2015 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 1874–1902/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014, सिविल अपील नं0 4347–4375/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2015 के अनुपालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर द्वारा प्राप्त करायी गयी चयन सूची के आधार पर रिक्ट सीटों को भरने हेतु अनुमोदित प्रतिक्षा सूची के समस्त अभ्यर्थियों की आठवीं चयन सूची जारी की गयी है जिसका कट ऑफ विवरण निम्नवत है–

	महिला	पुरूष	
	कला	कला	विज्ञान
अनु0जाति	---	103/01.05.78	---
अन्य पिछड़ा वर्ग	112/03.03.87	---	112/01.03.77

आठवीं चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेख यथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियों/अध्यापक पात्रता परीक्षा–2011 प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत निवास/जाति/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/आय प्रमाण पत्र/पहचान प्रमाण पत्र एवं एक फोटो युक्त नोटेरी शपथ पत्र (जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर एवं समस्त अभिलेखों की सत्यता, कूटरचित फर्जी अथवा किसी प्रकार का तथ्य गोपन पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ–साथ विधिक कार्यवाही किये जाने की सहमति का उल्लेख हो) के साथ साथ समस्त अभिलेखों की दो स्वप्रमाणित छायाप्रति (एक फाईल) के साथ उपस्थित हों। सभी मूल अभिलेखों तथा दो स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करने पर तैनाती/पदस्थापन आदेश अभ्यर्थी केवल स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी दिनांक 26.03.2016 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर में तैनाती/पदस्थापन आदेश प्राप्त कर सकते हैं। तैनाती/पदस्थापन आदेश रिक्ति के सापेक्ष उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त कराये जायेंगे, उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी उपस्थित न होने की दशा में निम्न गुणांक वाले अभ्यर्थियों को 4.00 बजे तैनाती/पदस्थापन आदेश प्राप्त कराये जायेंगे। उक्त तिथि को उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों का बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। यह सूची अनन्तिम चयन सूची है। यह सूची माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं लिपिकीय त्रुटि के अधीन होगी।

(वेद राम)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर